



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

14 कार्तिक, 1942 (श०)

संख्या- 548 राँची, गुरुवार,

5 नव बर, 2020 (ई०)

परिवहन विभाग

अधिसूचना

02 नव बर, 2020

अधिसूचना संख्या- 02/परि० वि०- 01/2020-2331-- वर्तमान समय में झारखण्ड राज्यान्तर्गत ट्रैक्टर-ट्रालियों का निर्माण स्थानीय निर्माताओं द्वारा बिना किसी निर्धारित मापदण्डों/अनुमोदित मॉडल के बिना ही किया जा रहा है। सक्षम स्तर से ट्रैक्टर-ट्रेलर का मॉडल अनुमोदित नहीं होने के कारण उनके पंजीयन में कतिपय परेशानियाँ आ रही हैं तथा कई ट्रैक्टर-ट्रेलर/ट्रालियाँ बिना मार्ग कर/अतिरिक्त कर जमा किये हुए ही व्यवसायिक वाहनों के रूप में संचालित हो रही हैं। ट्रैक्टर ट्रालियों के उक्त अवैध संचालन से नियमानुसार वैद्य परमिट से आच्छादित माल वाहनों के व्यवसाय पर कुप्रभाव पड़ रहा है। मोटरवाहन अधिनियम, 1988 की धारा-61(2) के अंतर्गत सभी ट्रेलर/ट्रालियों का पंजीयन आवश्यक है तथा उन्हें व्यवसायिक रूप से परिचालन करने की अनुमति नहीं है जब तक की उनके द्वारा परमिट न लिया जाय तथा कर/अतिरिक्त कर जमा न किया जाए।

उपरोक्त के सन्दर्भ में यह आवश्यक है कि स्थानीय निर्मित ट्रैक्टर-ट्रालियों के निर्माण में झारखण्ड मोटरगाड़ी नियमावली, 2001 का नियम-169 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए, ताकि निर्धारित मापदण्डों के साथ निर्मित ट्रेलर/ट्रालियों का नियमानुसार पंजीयन/वैद्य परमिट से आच्छादित करते हुए उनके परिचालन को नियमित किया जा सके। इस परिप्रेक्ष्य में झारखण्ड मोटर गाड़ी नियमावली के नियम-169, केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989

के नियम-47(C), नियम-93 एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-110 के आलोक में स्थानीय निर्मित ट्रैक्टर-ट्रोल्ली/टैंकर (Max. Speed 25KM/H-30KM/H) के संदर्भ में अन्य राज्यों यथा आन्ध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल एवं कर्नाटक सरकार द्वारा अधिस्थापित नियमों, AIS 112, AIS 113 में अंकित मानकों तथा अन्य राज्यों से उपलब्ध स्थानीय निर्मित ट्रैक्टर-ट्रोल्ली/टैंकर के अनुमोदित डिजाइन को आधार मानते हुए झारखण्ड राज्यान्तर्गत स्थानीय निर्माताओं द्वारा निर्माण किये जाने वाले कुल पाँच (05) ट्रैक्टर-ट्रोल्ली/टैंकर का डिजाइन, उक्त नियमों एवं सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखकर, परिवहन विभाग की तकनीकी टीम (मोटरयान निरीक्षक) द्वारा तैयार किया गया है, जिसका विस्तृत ड्राइंग Jharkhand Government Tool Room, Tatisilwa, Ranchi द्वारा CAD के माध्यम से रेखांकित (रेखाबद्ध) किया गया है। तैयार डिजाइन के मॉडल निम्नवत हैं :-

Model Code

- | | |
|--|---------------|
| 1. 2W Single Axle 5T Tipping Type Tractor-Trolley (Max. Speed 25KM/H-30KM/H) | A |
| 2. 2W Single Axle 5T Fixed Frame Tractor-Trolley (Max. Speed 25KM/H-30KM/H) | B |
| 3. 4W Double Axle 5T Fixed Frame Tractor-Trolley (Max. Speed 25KM/H-30KM/H) | C |
| 4. 2W Single Axle 3T Fixed Frame Water-Tanker (Max. Speed 25KM/H-30KM/H) | D |
| 5. 2W Single Axle 5T Fixed Frame Water-Tanker (Max. Speed 25KM/H-30KM/H) | E |
| 6. अन्य मॉडल जो परिवहन आयुक्त की अनुमति से स्वीकृत किए जायेंगे। | F to Z |

राज्य के सभी स्थानीय ट्रैक्टर-ट्रोल्ली/टैंकर निर्माता जिनके द्वारा परिवहन विभाग, झारखण्ड से Trade License प्राप्त कर लिया गया हो एवं वैध हो वे उपरोक्त डिजाइन के अनुसार ही ट्रैक्टर-ट्रोल्ली/टैंकर का निर्माण करेंगे। उपरोक्त सभी (05) मॉडलों का विस्तृत Drawing एवं Specification परिशिष्ट (1) (2) (3) (4) एवं (5) के रूप में संलग्न हैं।

राज्य के स्थानीय ट्रैक्टर-ट्रोल्ली/टैंकर निर्माता उपरोक्त मॉडलों के अतिरिक्त यदि अपना कोई डिजाइन परिवहन विभाग, झारखण्ड से अनुमोदित कराना चाहते हैं, तो परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित शुल्क के साथ निम्न शर्तों का अनुपालन करते हुए अपना डिजाइन जाँच हेतु आवेदन परिवहन विभाग को तीन (03) प्रति में समर्पित कर सकते हैं :-

- 1- विहित प्रपत्र में Full Specifications,
- 2- Drawing giving all dimensions and details,
- 3- Set of design calculations :-
 - (a) Axle
 - (b) Suspension and spring
 - (c) Hinge and its pin
 - (d) Long bearers
 - (e) Cross bearers
 - (f) Platform tank or anything that may be carried on the cross bearers
 - (g) Tow bars
 - (h) Turn table
 - (i) Hand brake system with layout
 - (j) Service brake system with layout
 - (k) Lightening/ electrical system with layout
 - (l) Fitment of retro-reflective tape
 - (m) Fitment of RUPD confirming IS 14812:2015 and SUPD confirming IS14682:2004

परिवहन विभाग के तकनीकी समिति द्वारा प्राप्त डिजाइन की जाँच की जाएगी तथा विहित नियमों के अनुसार पाये जाने पर परिवहन आयुक्त, झारखण्ड के अनुमोदनोपरांत Approved Model (F to Z) के अनुसार निर्माण करने की स्वीकृति दी जाएगी।

सभी पंजीयन अधिकारी (जिला परिवहन पदाधिकारी) जिनके समक्ष ट्रैक्टर-ट्रालियाँ/ट्रेलर पंजीयन हेतु आती हैं, उनके चेचिस पर स्थानीय ट्रैक्टर-ट्रेलर निर्माताओं द्वारा निम्न विवरणों का उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा :-

1. निर्माण का वर्ष,
2. निर्माण का माह,
3. वाहन निबंधन के निमित्त जिलों के लिए आवंटित पंजीयन कोड नंबर (जैसे-राँची-01, हजारीबाग-02 आदि),
4. ट्रैक्टर-ट्रेलर निर्माताओं को परिवहन विभाग (संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी) द्वारा आवंटित Trade License संख्या तथा मॉडल कोड (01-99 तक जैसे-07-A, 89-C)
5. Number of Axle
6. क्रमांक (सिरियल नंबर)

ट्रैक्टर-ट्रेलर निर्माताओं द्वारा ट्रैक्टर-ट्रेलर की चेचिस पर उक्त विवरण खुदवाने के लिए निम्न तथ्यों का उल्लेख होना आवश्यक है :-

<u>वर्ष</u>	<u>माह</u>	<u>जिले का पंजीयन कोड संख्या</u>	<u>Trade License संख्या एवं मॉडल/प्रोडक्ट कोड</u>	<u>Number of Axle</u>	<u>क्रमांक</u>
-------------	------------	----------------------------------	---	-----------------------	----------------

ट्रालियों/ट्रेलरों पर खुदने वाला चेचिस नंबर 15 अंकों का होगा। प्रथम दो अंक वर्ष को प्रदर्शित करेगा, अगला दो अंक उस माह को प्रदर्शित करेगा, जिसमें ट्रेलर का पंजीयन किया जा रहा है। उसके आगे दो अंक संबंधित जिले का पंजीयन कोड, उसके आगे का दो अंक तथा वर्णमाला संबंधित निर्माता का Trade License संख्या एवं मॉडल/प्रोडक्ट कोड को प्रदर्शित करेगा, उसके आगे का दो अंक Number of Axle को प्रदर्शित करेगा तथा अन्तिम चार अंक ट्रालियाँ/ट्रेलरों/टैंकर को पंजीकृत करने हेतु खोले गये रजिस्टर का क्रमांक होगा। नमूने के तौर पर निम्न उदाहरण दिये जा रहे हैं :-

- (1) 20 07 01 07-A 01 0001 [उक्त का तात्पर्य है कि माह जुलाई 2020 में राँची जिले के स्थानीय निर्माता जिनका Trade License संख्या 07 है, के द्वारा "A" Model वाले 01 Axle वाले ट्रेलर का निर्माण किया गया, जिसका क्रमांक 01 है।]
- (2) 22 01 02 89-C 02 0969 [उक्त का तात्पर्य है कि माह जनवरी 2022 में हजारीबाग जिले के स्थानीय निर्माता जिनका Trade License संख्या 89 है, के द्वारा "C" Model वाले 02 Axle वाले ट्रेलर का निर्माण किया गया, जिसका क्रमांक 969 है।]

उक्त प्रक्रिया लागू करने के लिए पंजीयन अधिकारी (जिला परिवहन पदाधिकारी) द्वारा अपने जिलान्तर्गत अवस्थित स्थानीय ट्रैक्टर-ट्रैलर निर्माताओं को Trade License आवंटित किया जायेगा, जो 01 से 99 के मध्य होगा।

स्थानीय ट्रैक्टर-ट्रैलर निर्माताओं के द्वारा परिशिष्ट 01 से 05 में संलग्न अनुमोदित मॉडलों तथा Specification के अनुरूप ही ट्रैक्टर-ट्रैलर/टैंकर/टिपर का निर्माण किया जायेगा तथा संबंधित जिले के मोटरयान निरीक्षकों द्वारा निर्मित ट्रैलर की जाँचोंपरान्त एक प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा। मोटरयान निरीक्षकों द्वारा सत्यापन के फलस्वरूप संबंधित निर्माता के द्वारा उपरोक्त के अनुसार चेचिस संख्या खुदवाकर ट्रैलर की बिक्री की जायेगी तथा सभी वांछित कागजातों (मोटरयान निरीक्षक द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र सहित) के साथ पंजीयन हेतु पंजीयन अधिकारी (जिला परिवहन पदाधिकारी) के समक्ष आवेदन समर्पित किया जायेगा, जिसे पंजीयन अधिकारी नियमानुसार आदेश पारित करके पंजीयन की कार्यवाही पूर्ण करेंगे।

यह अधिसूचना राजकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

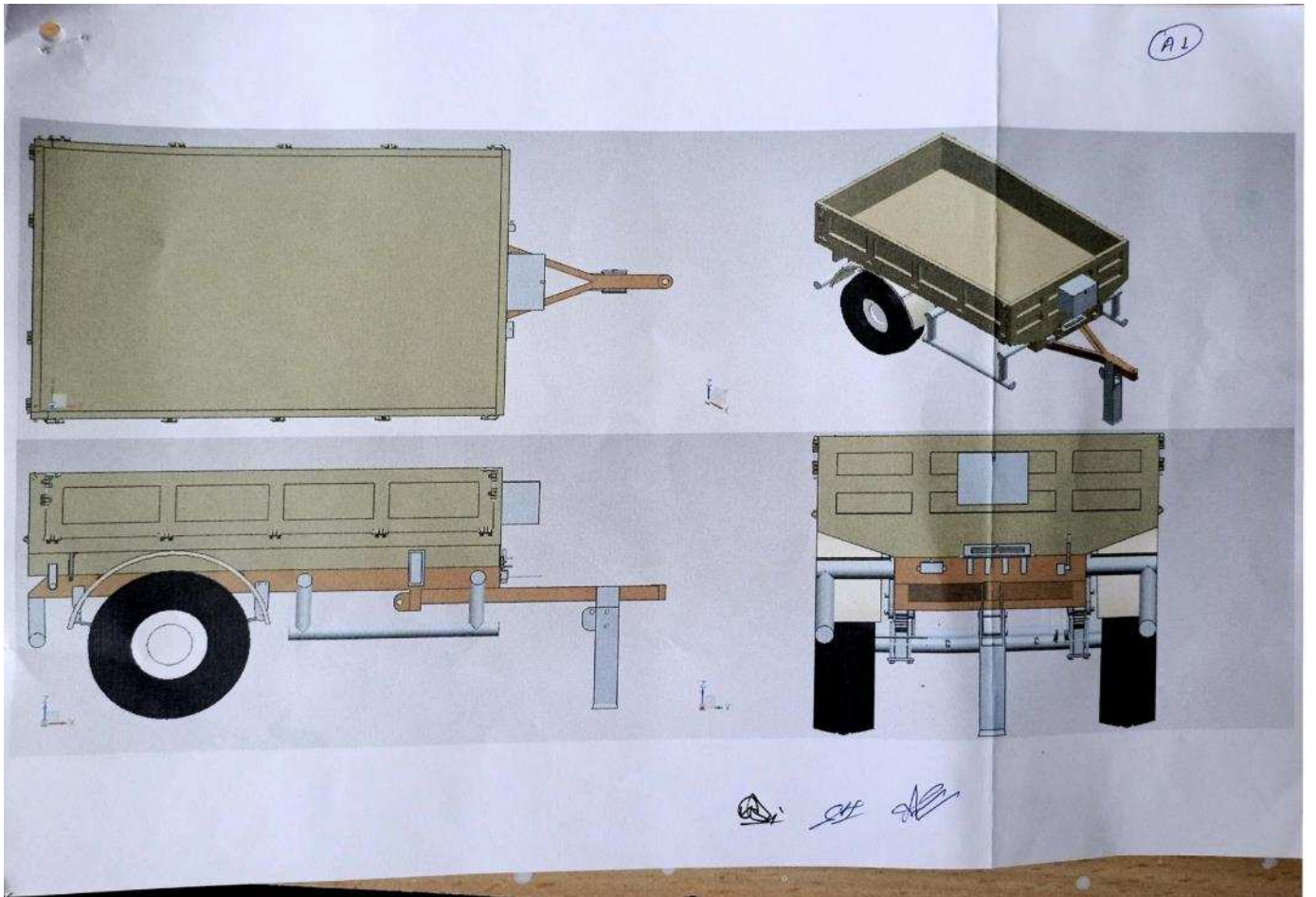
झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

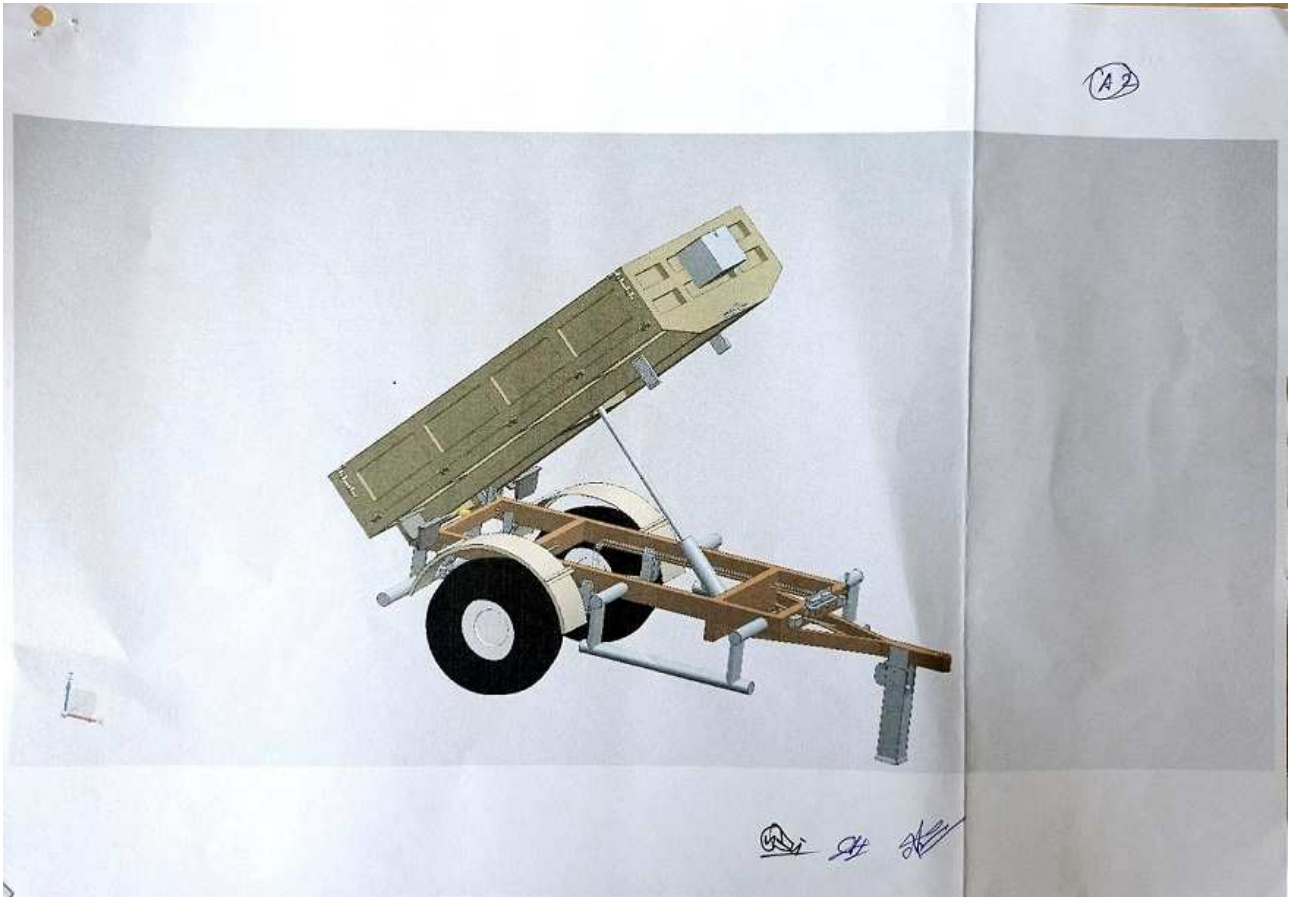
के० रवि कुमार

सचिव,

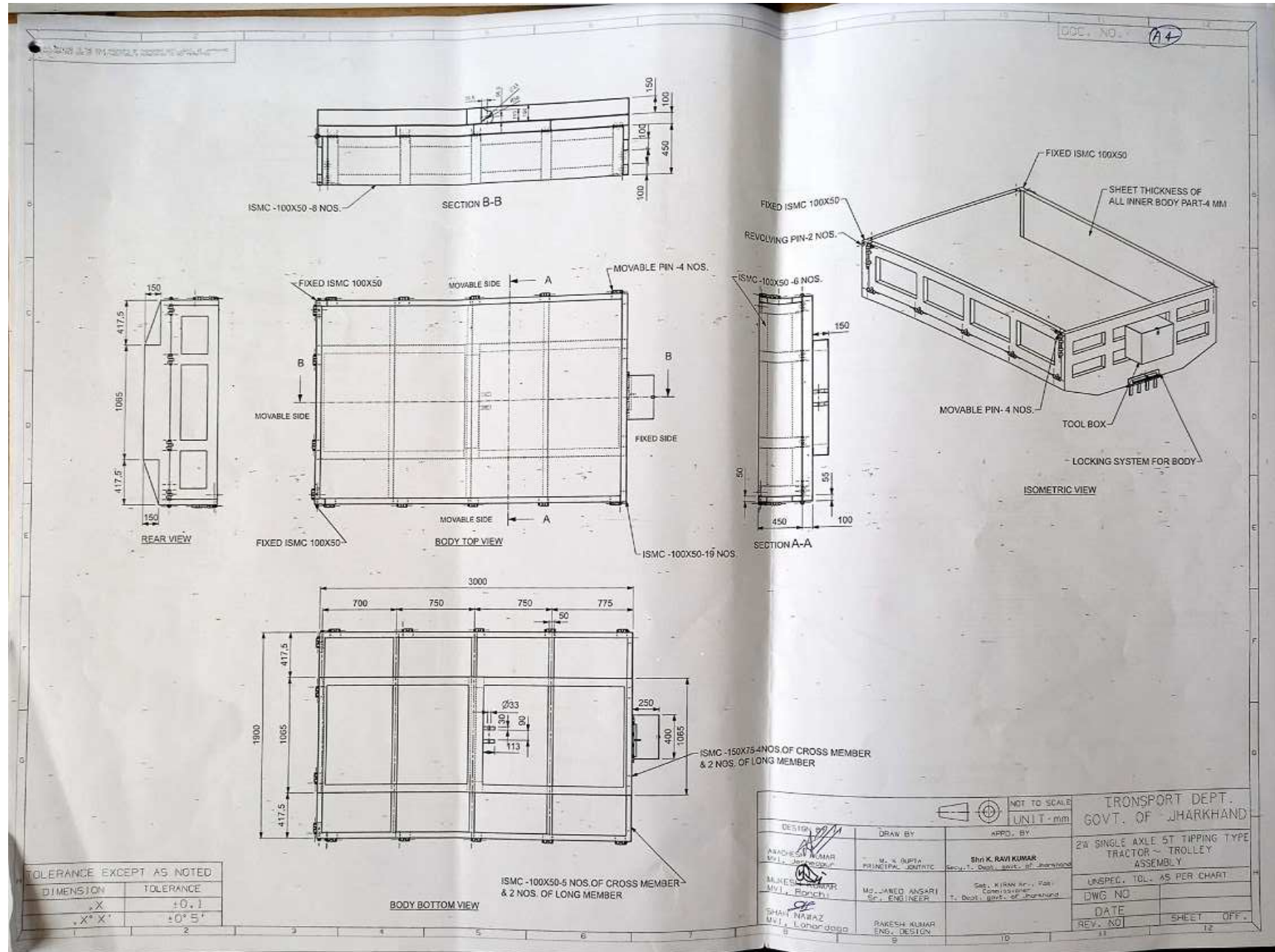
परिवहन विभाग।

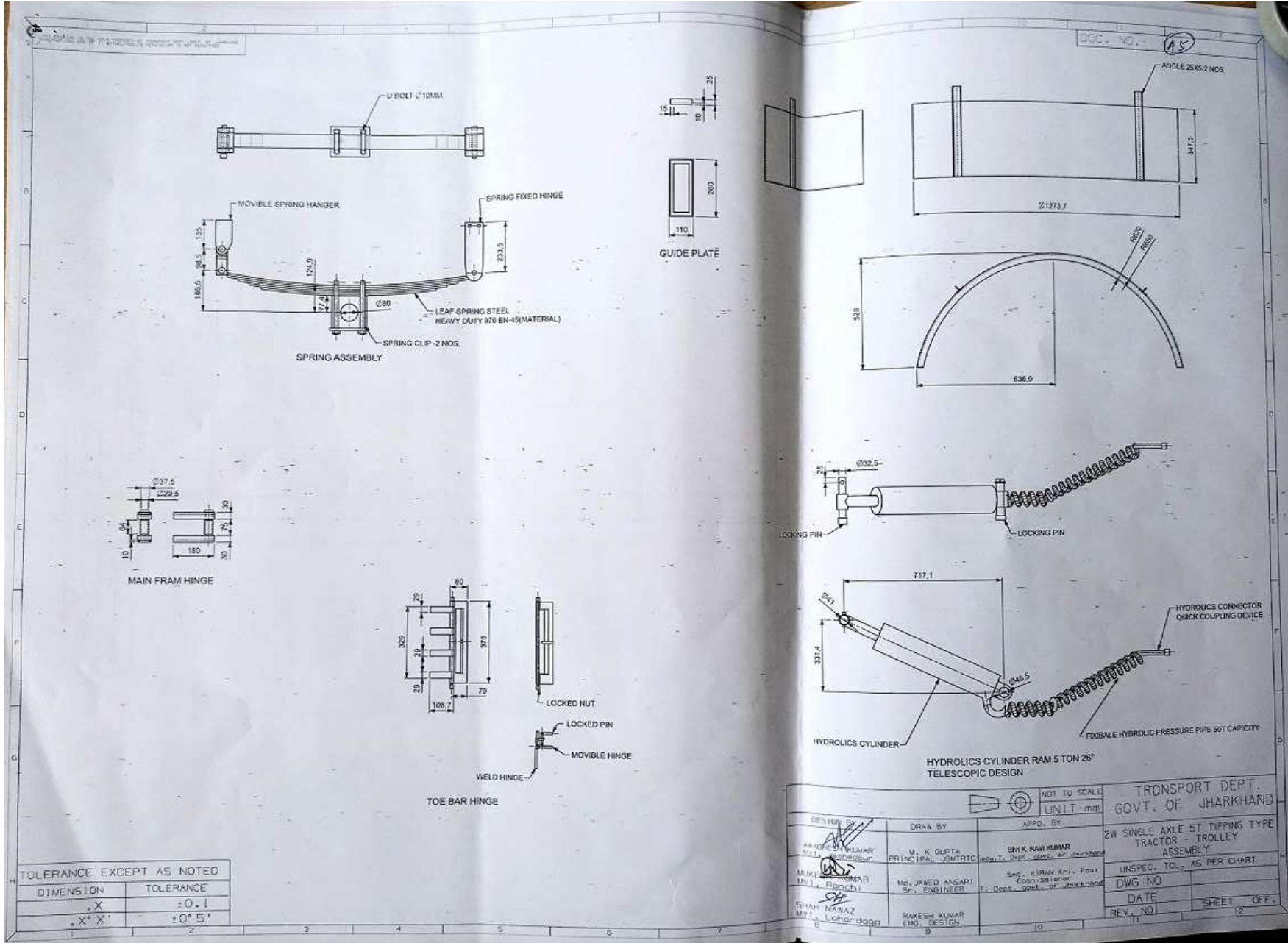
Model Code - A



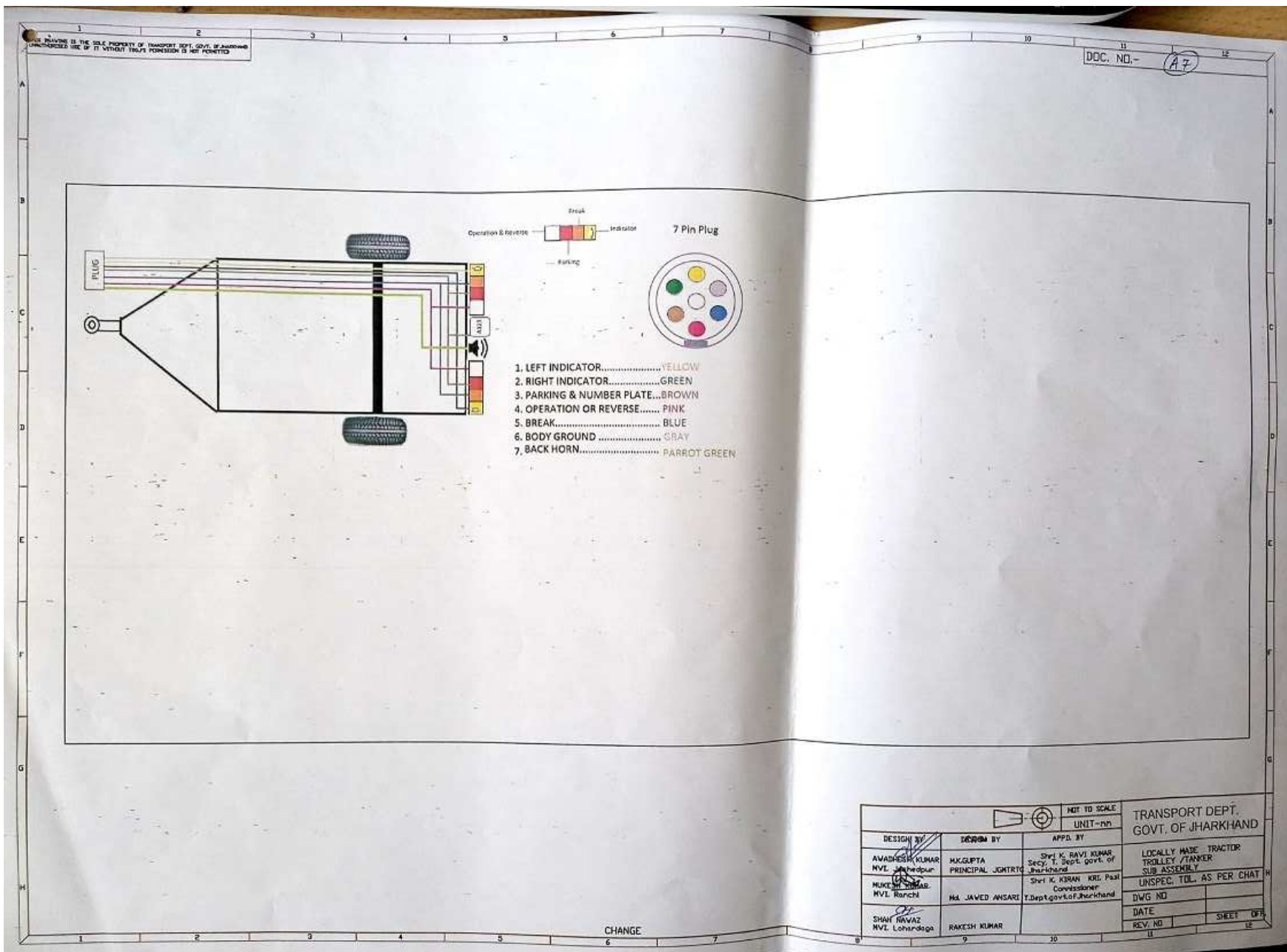




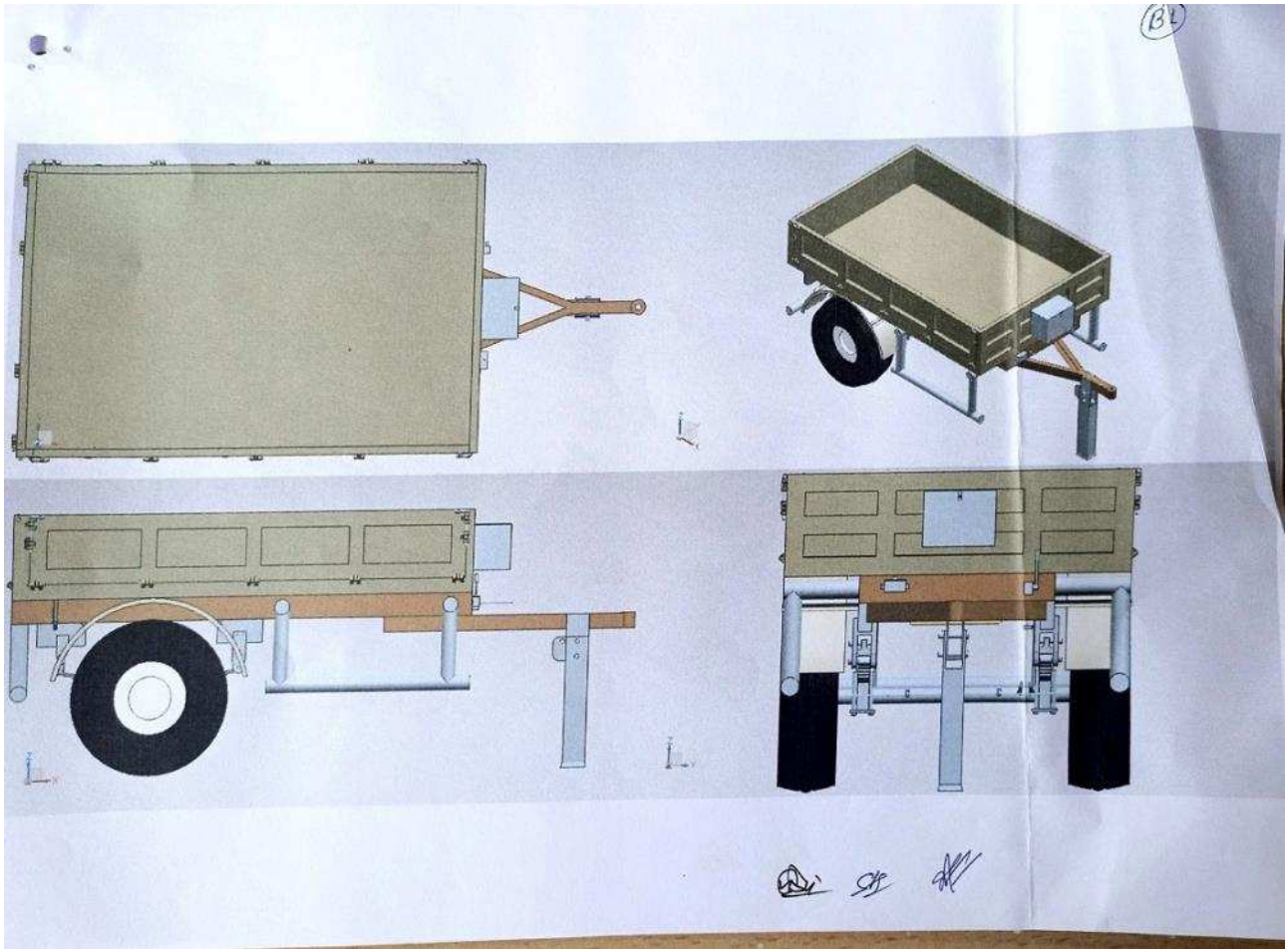




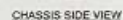
[illegible]



Model Code - B



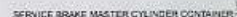
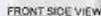




CHASSIS PLAN - 15MC - 150X75 - 5 NOS. OF CROSS MEMBER
& 2 NOS. OF LONG MEMBER



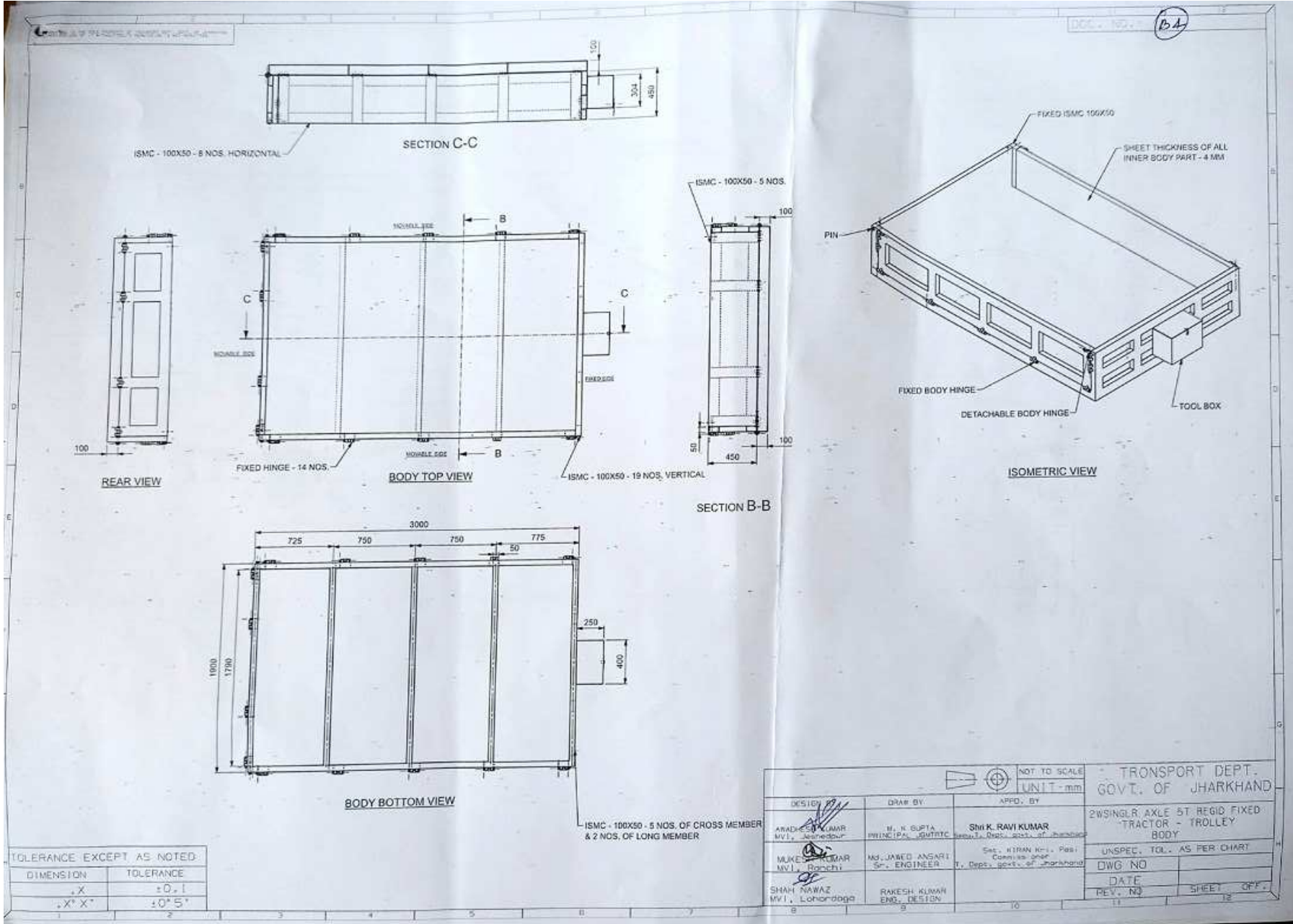
BODY FRAM ISOMETRIC VIEW

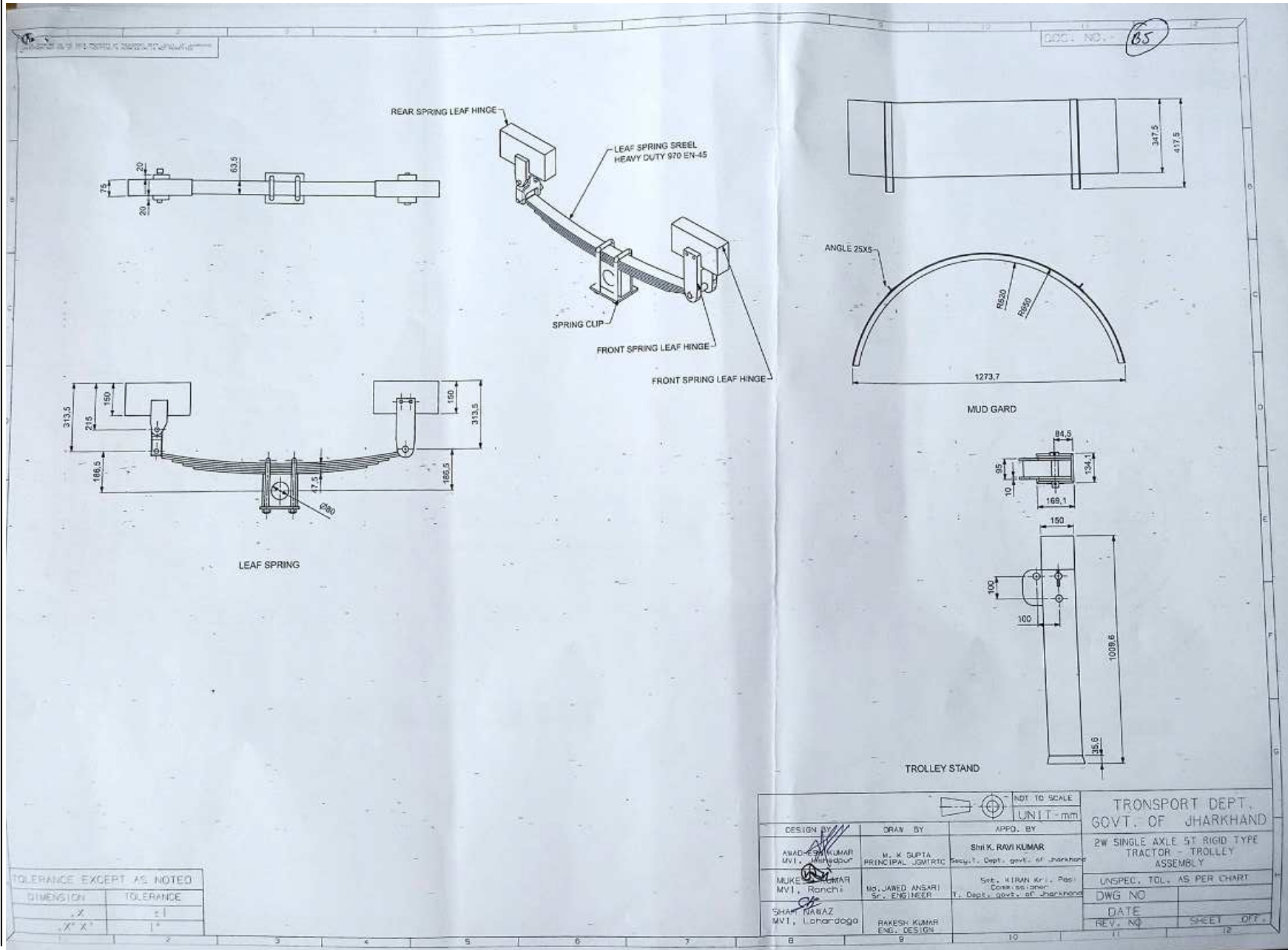


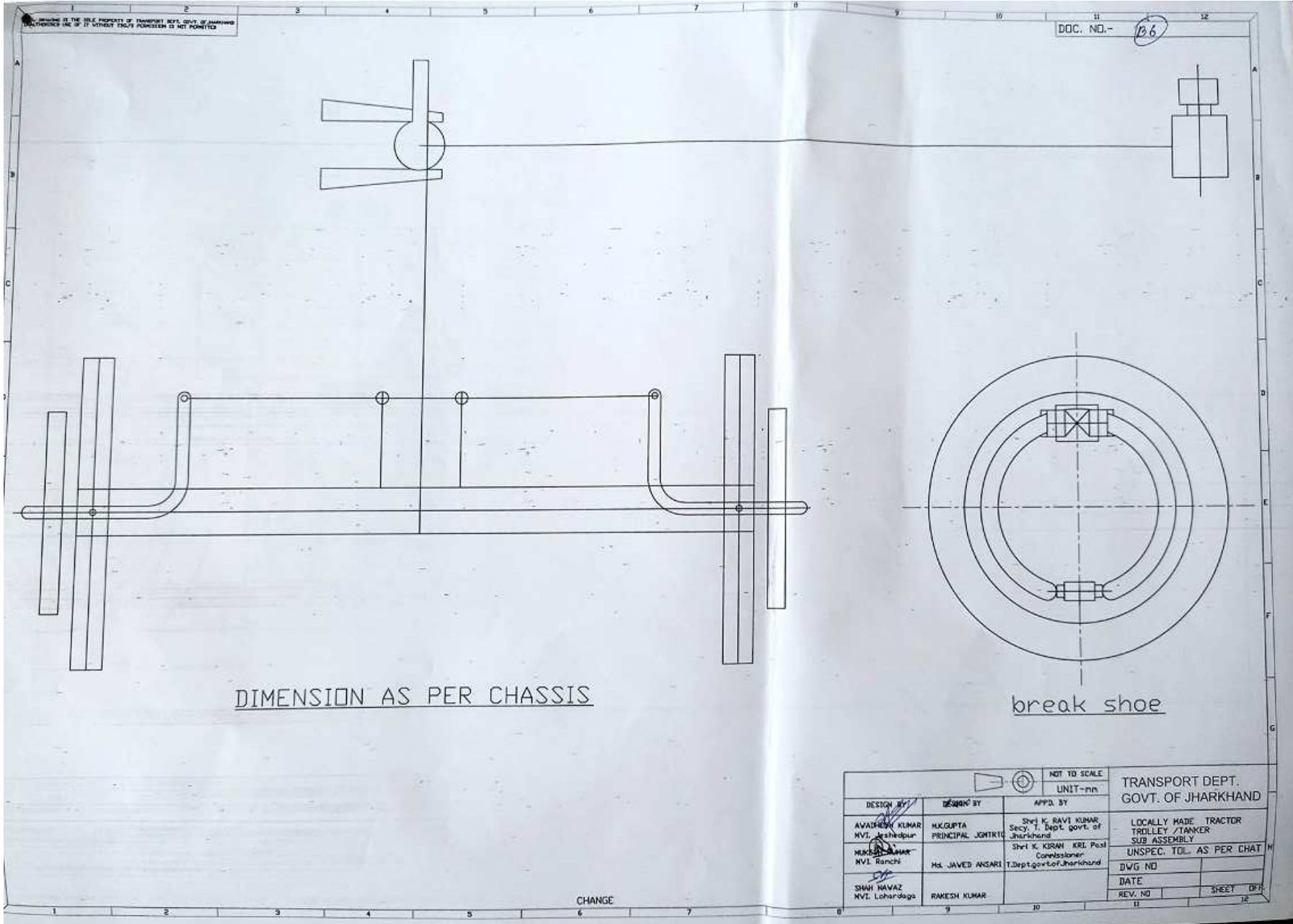
NOT TO SCALE
UNIT = mm

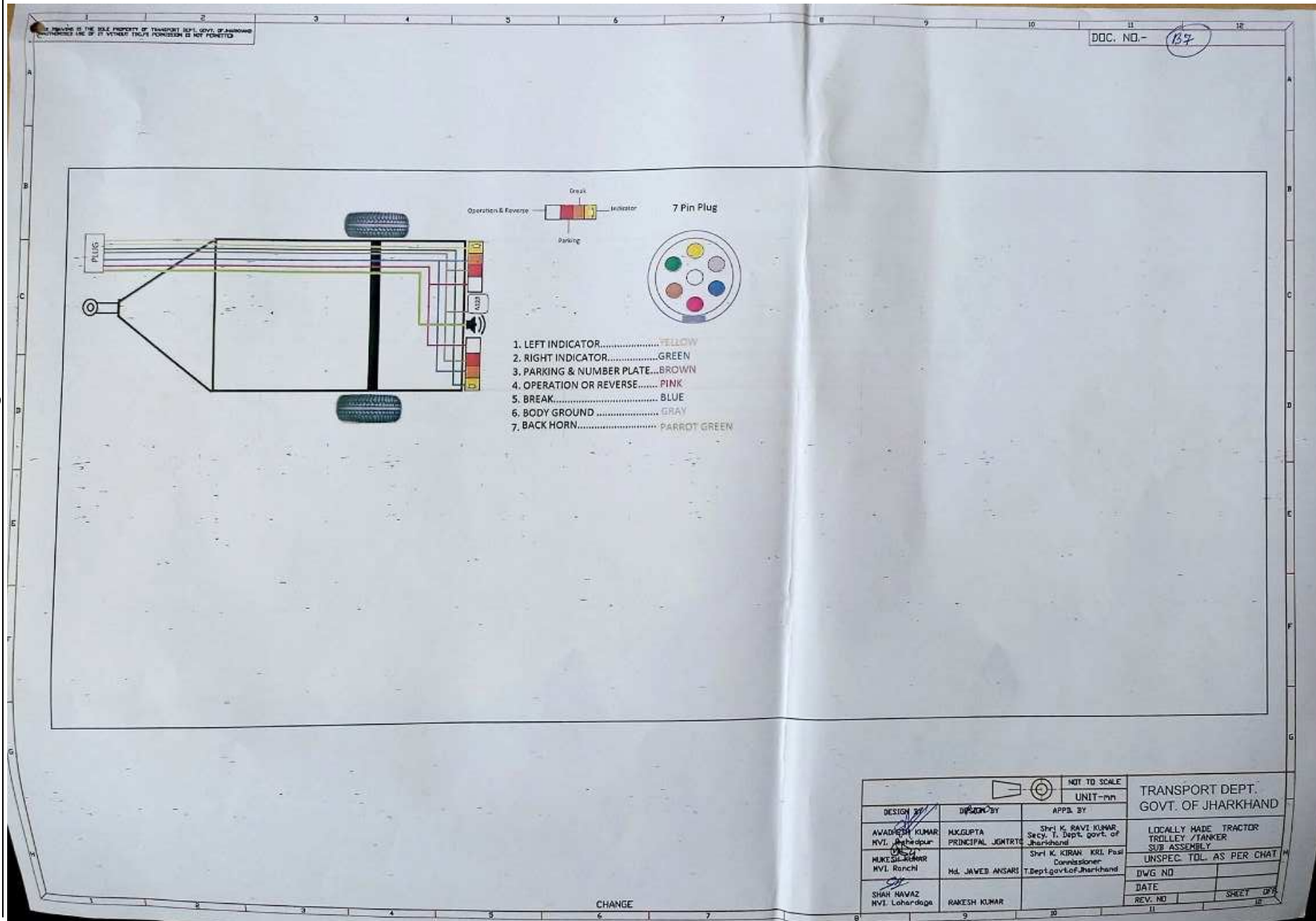
TRANSPORT DEPT.
GOVT. OF JHARKHAND

DESIGN BY <i>[Signature]</i>	DRAW BY <i>[Signature]</i>	APPD. BY <i>[Signature]</i>	COV'T. BY <i>[Signature]</i>
ABRAHIM KUMAR MVI, <i>[Signature]</i>	M. K. GUPTA PRINCIPAL JETMATIC	SHRI K. RAHUKUMAR Secy. T. Dept. of Govt. of Jharkhand	2W SINGLE AXLE 5T RIGID TYPE TRACTOR - TROLLEY ASSEMBLY
MUKESH KUMAR MVI, Ranchi <i>[Signature]</i>	MS. JAVED ANSARI Sr. ENGINEER	Smt. KIRAN K., Post Commissioner T. Dept. Govt. of Jharkhand	UNSPEC. TOL. AS PER CHART
SHAH NABAZ MVI, Lohardaga	RAKESH KUMAR ENG. DESIGN		DWG NO
			DATE
			REV. NO. SHEET OFF.

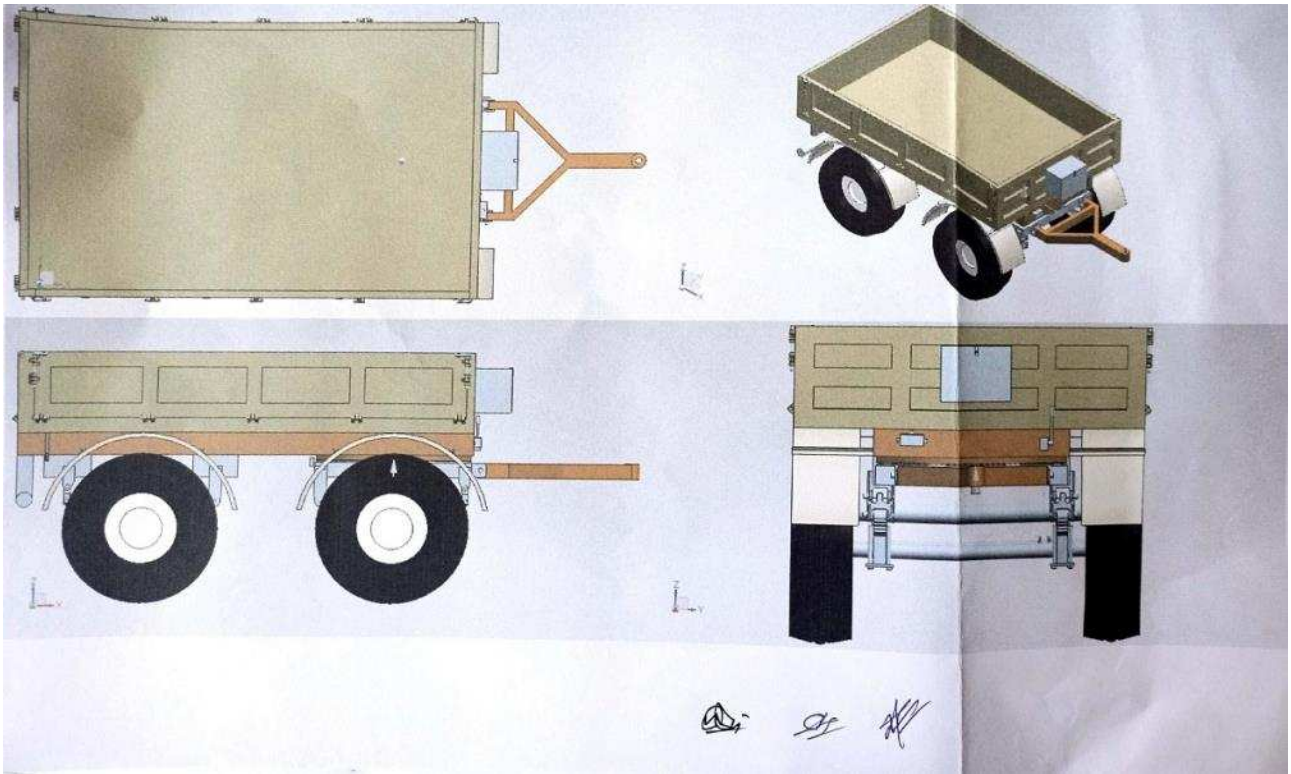






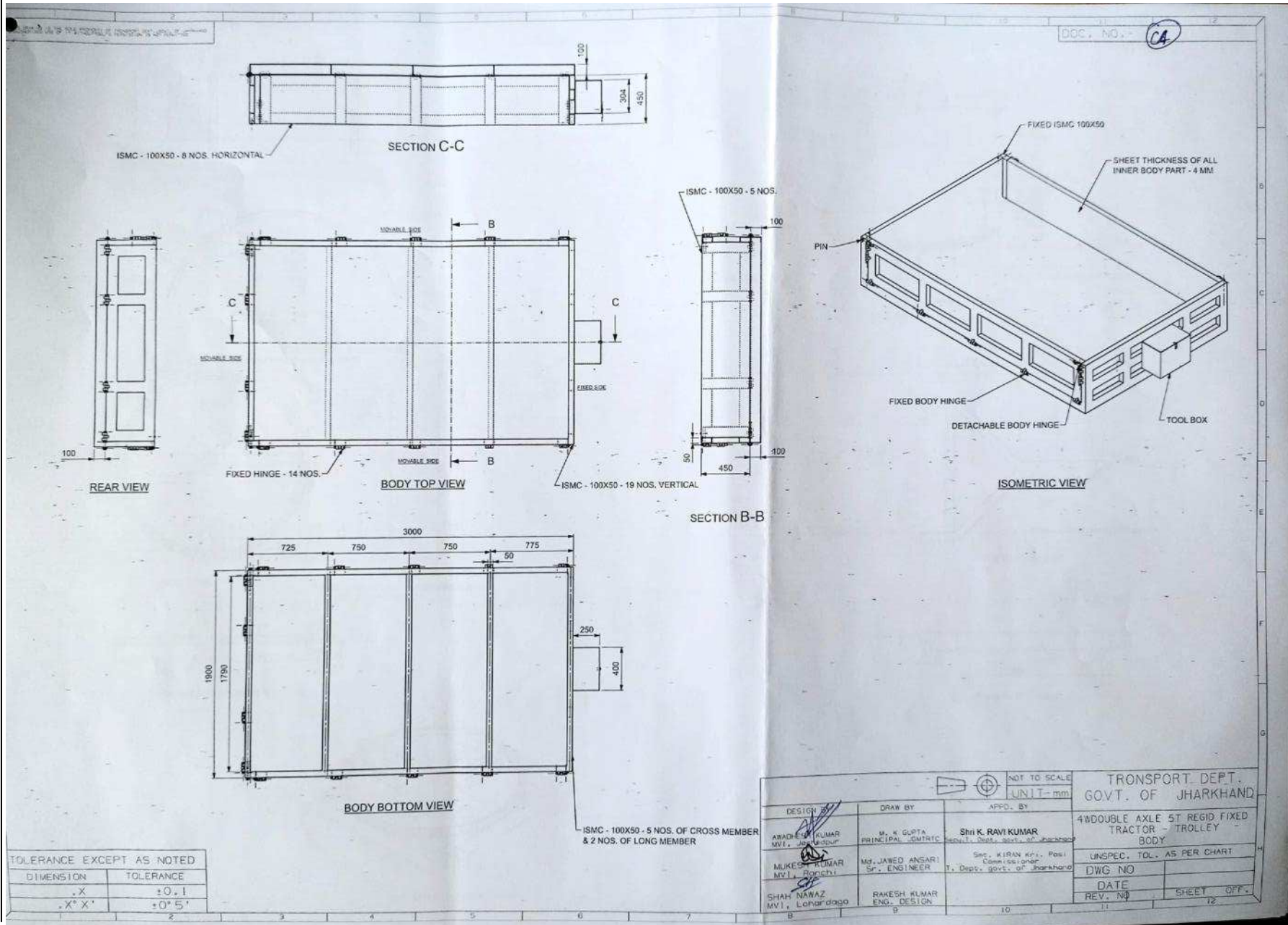


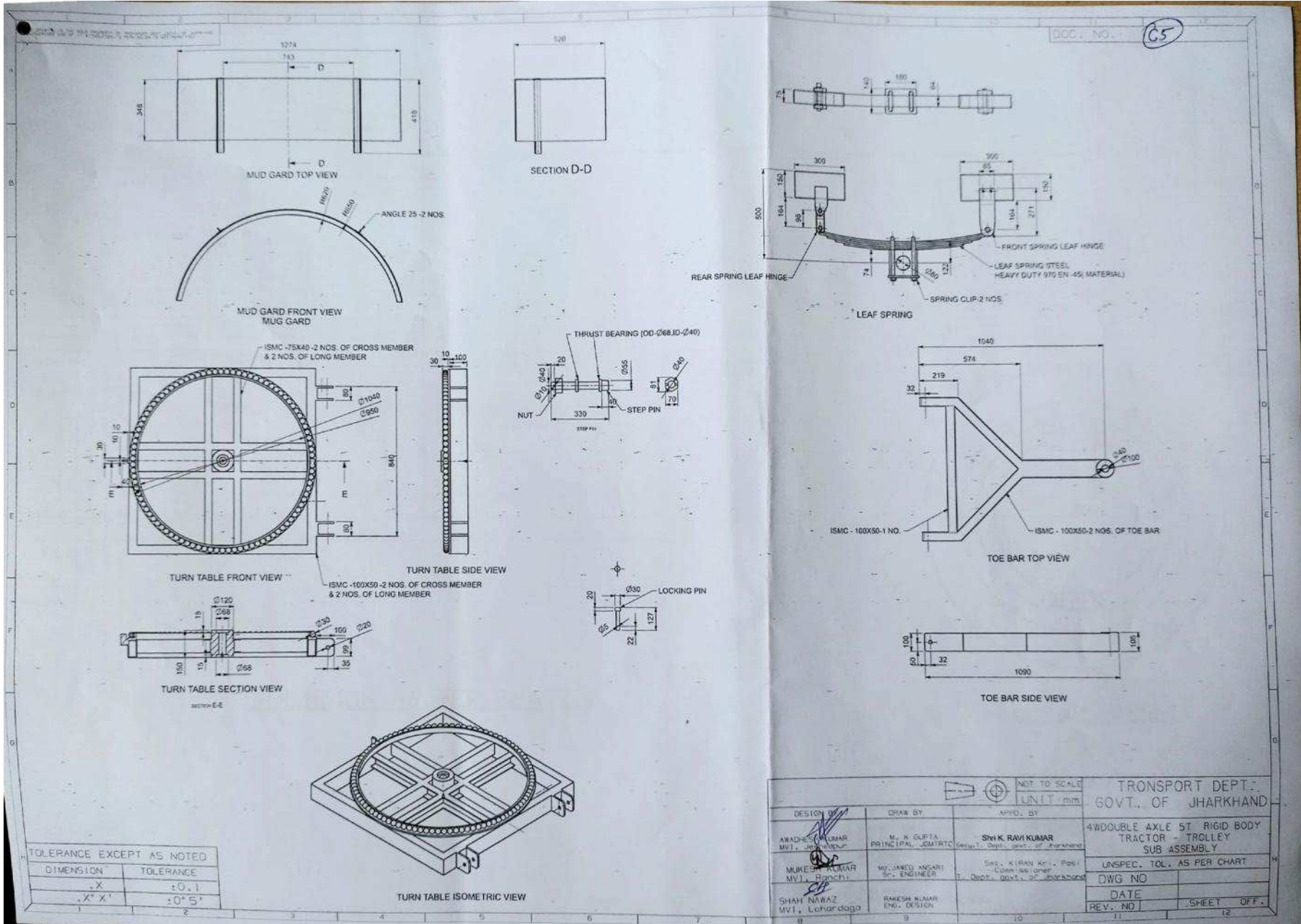
Model Code - C

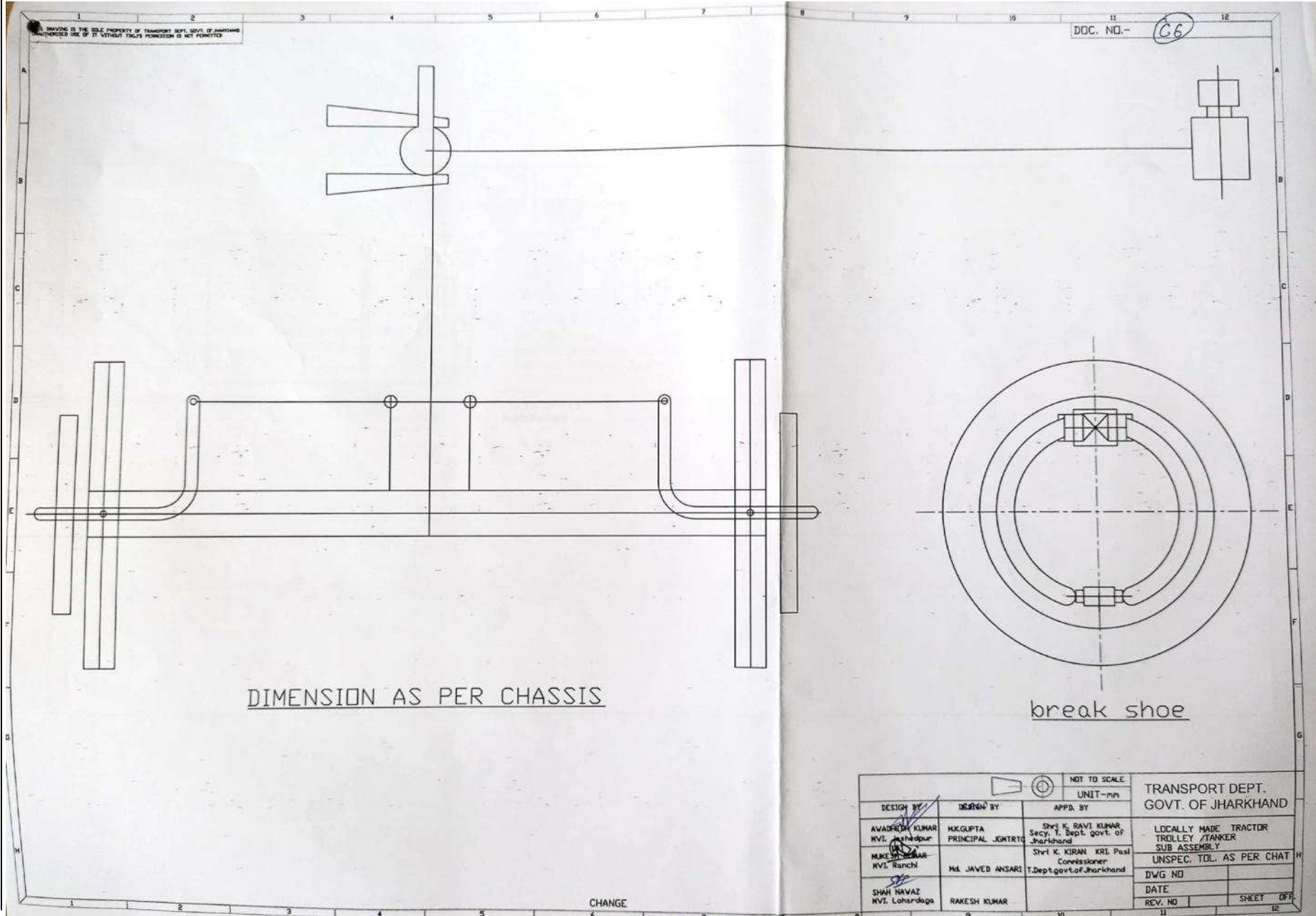


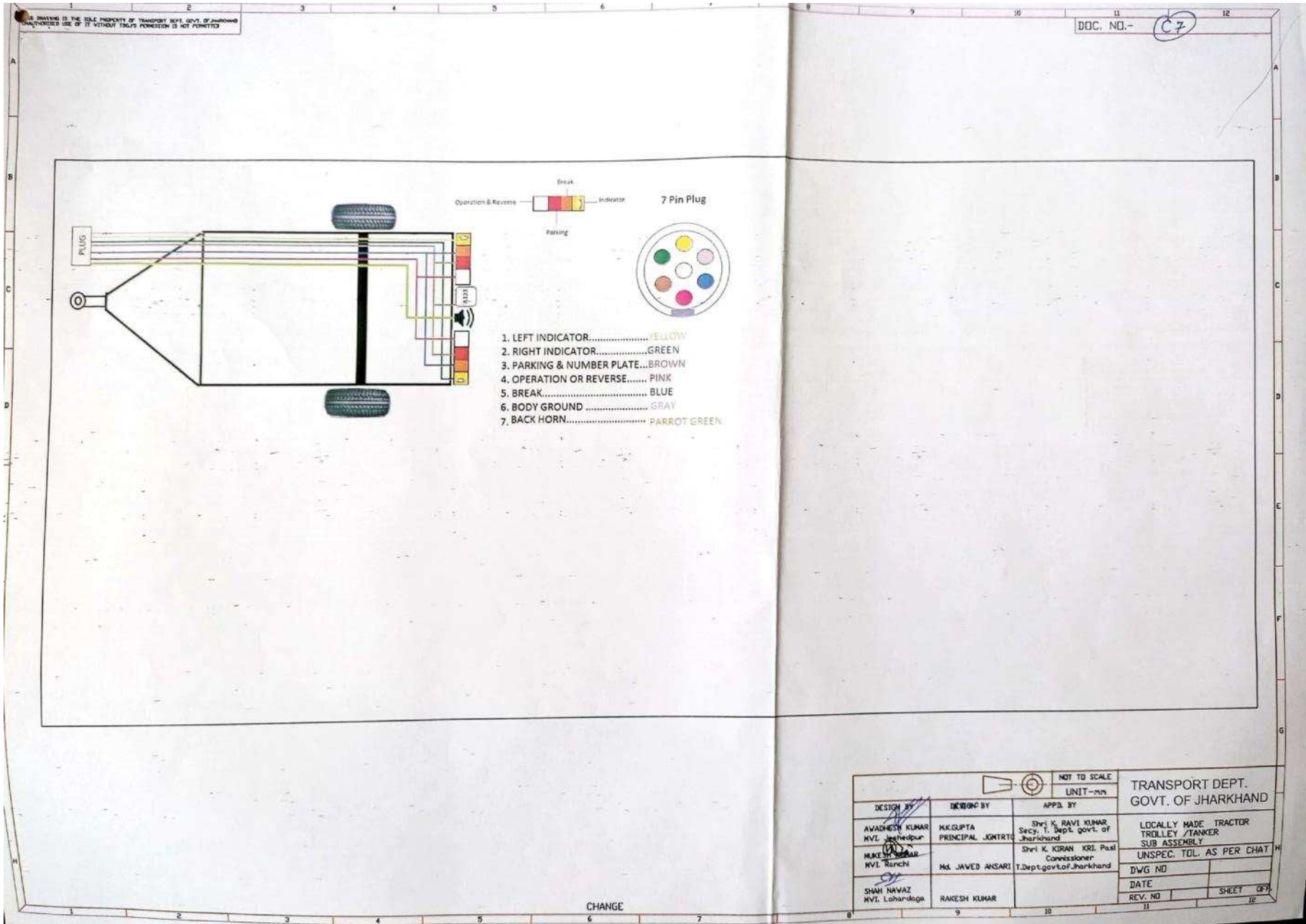




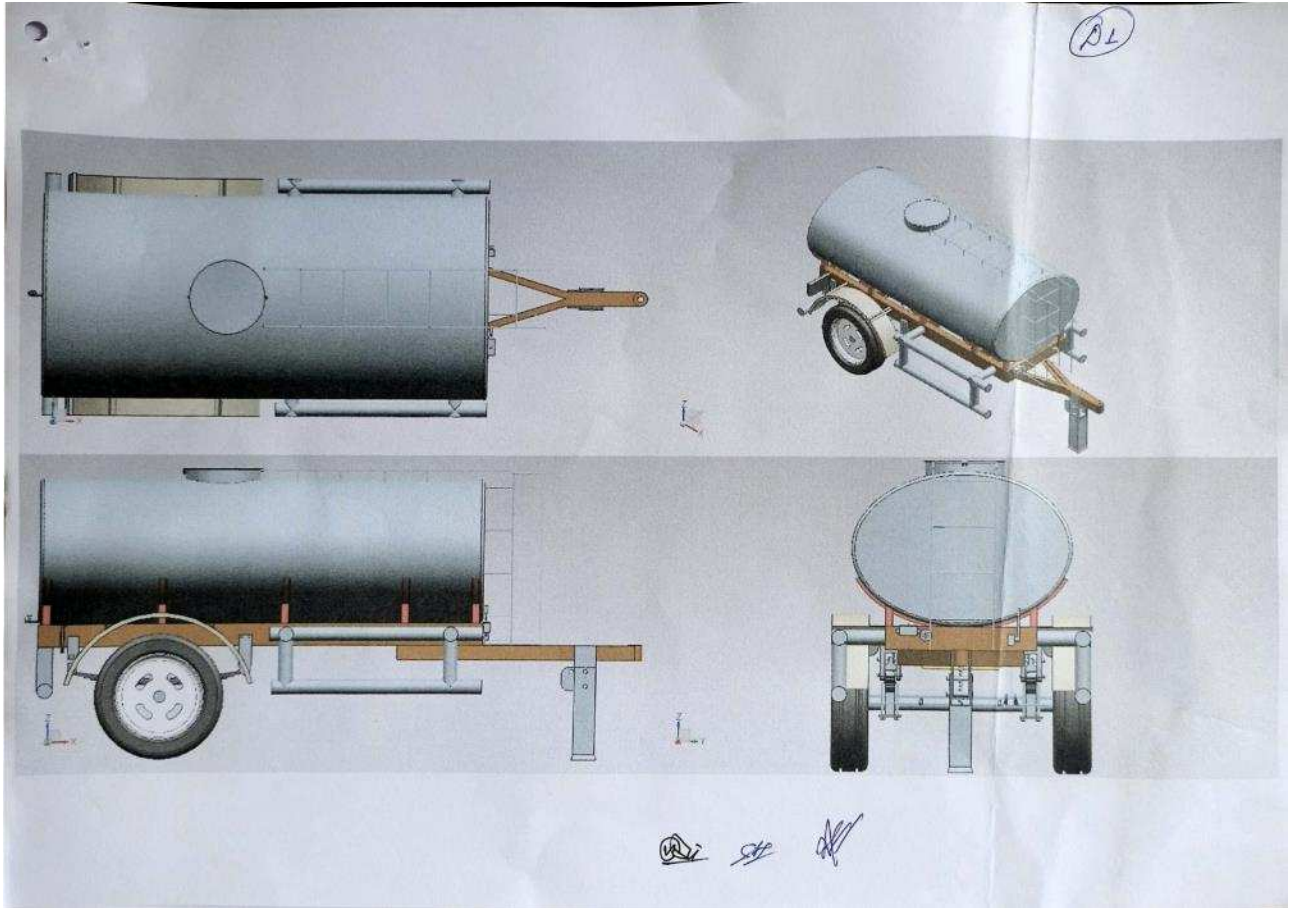


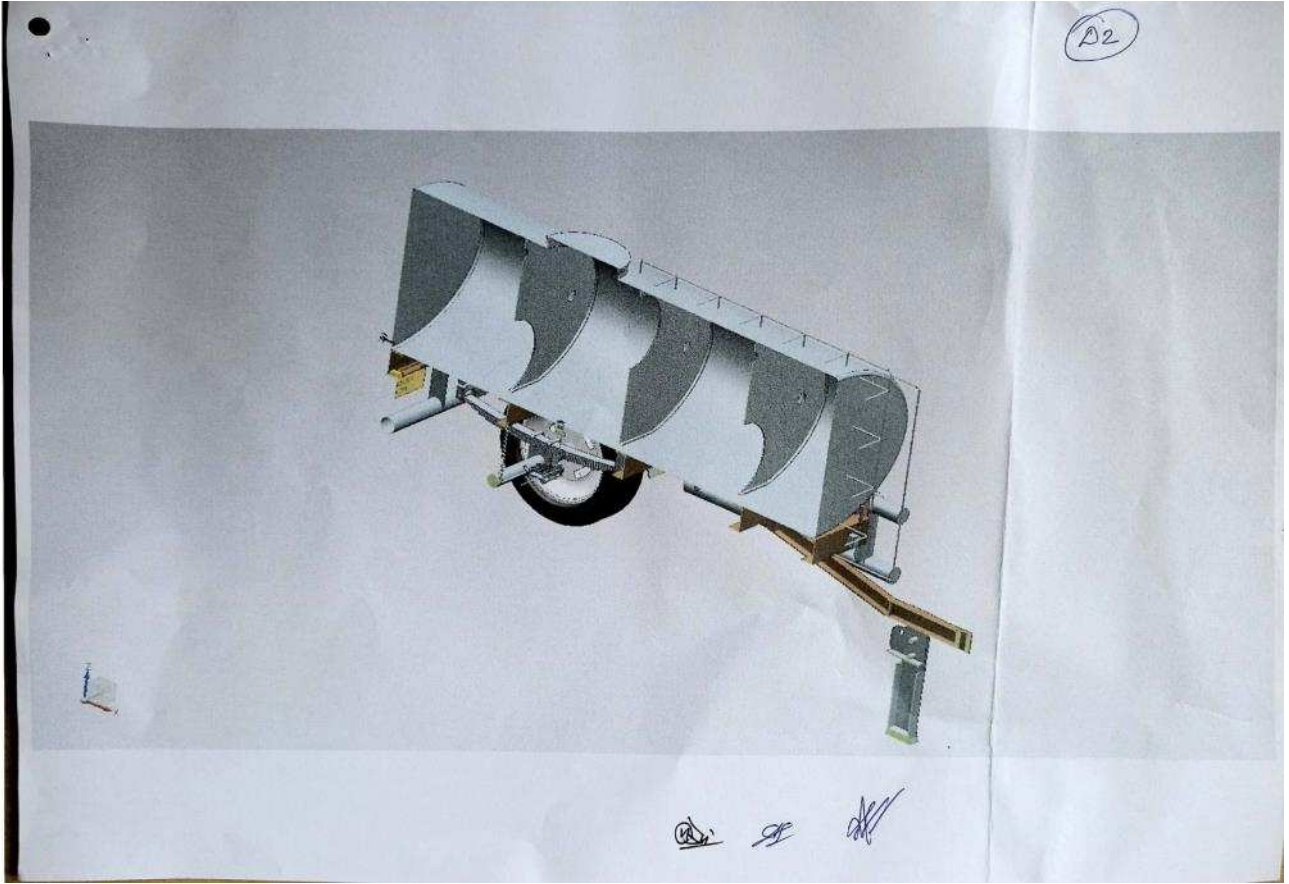


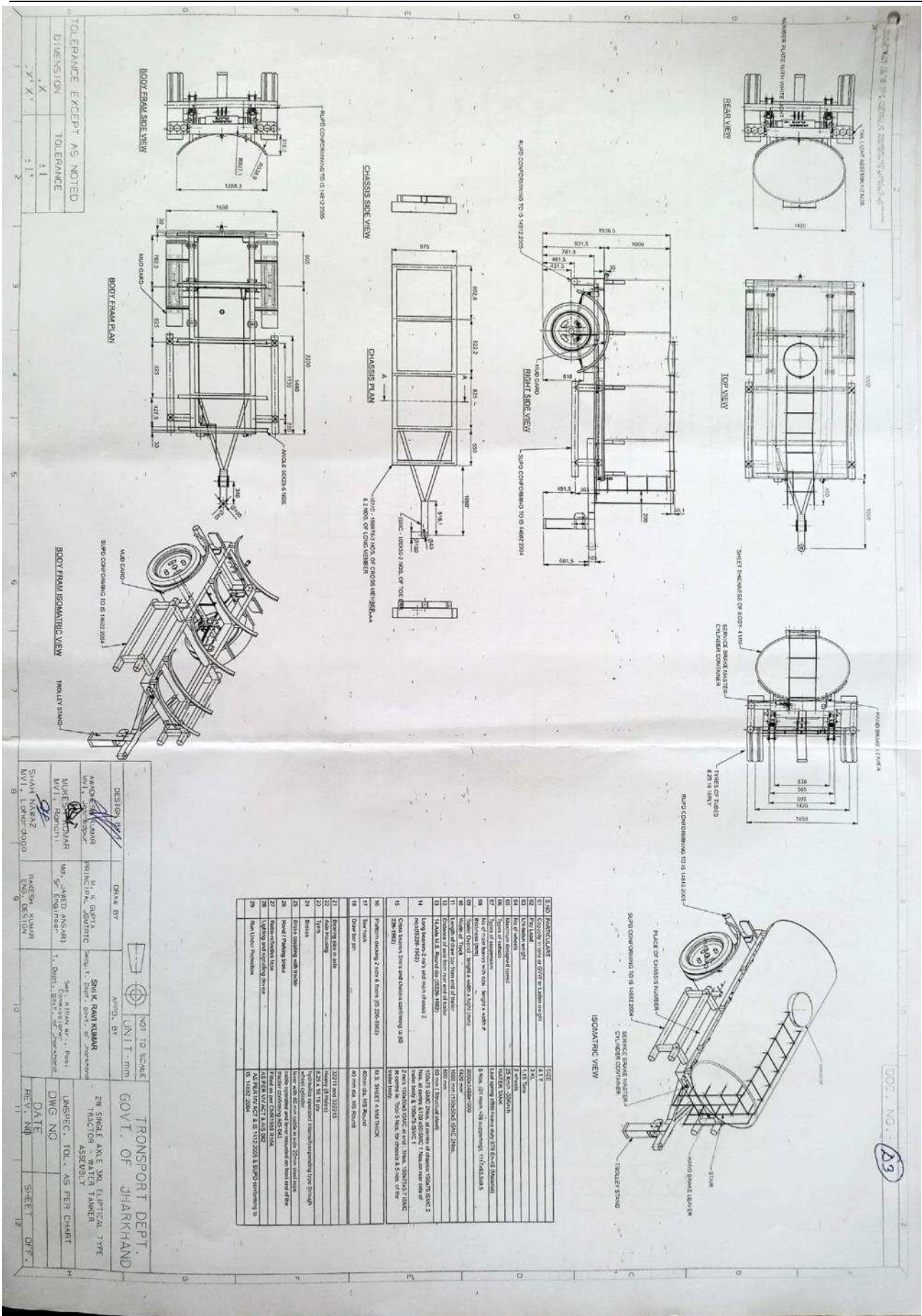


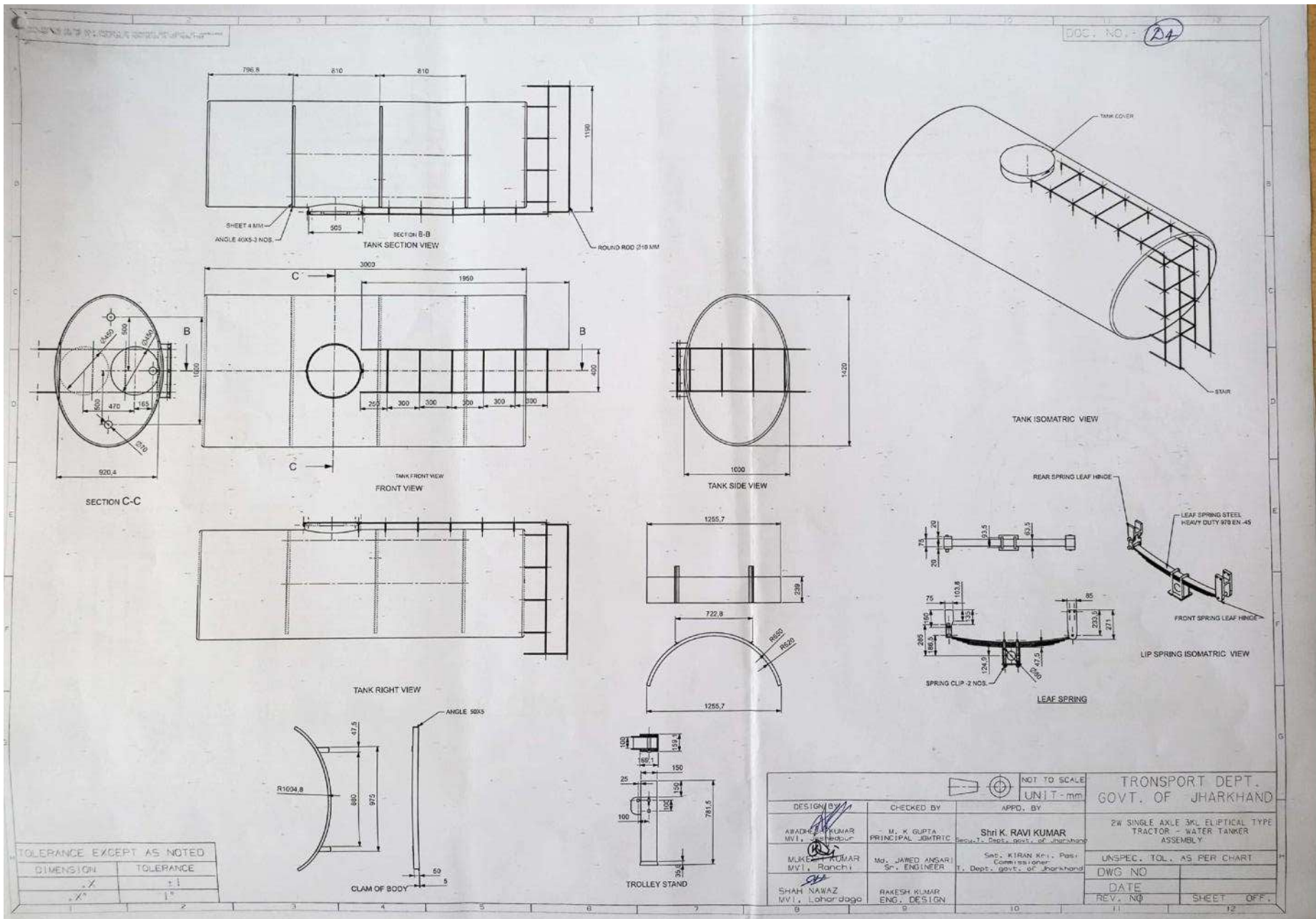


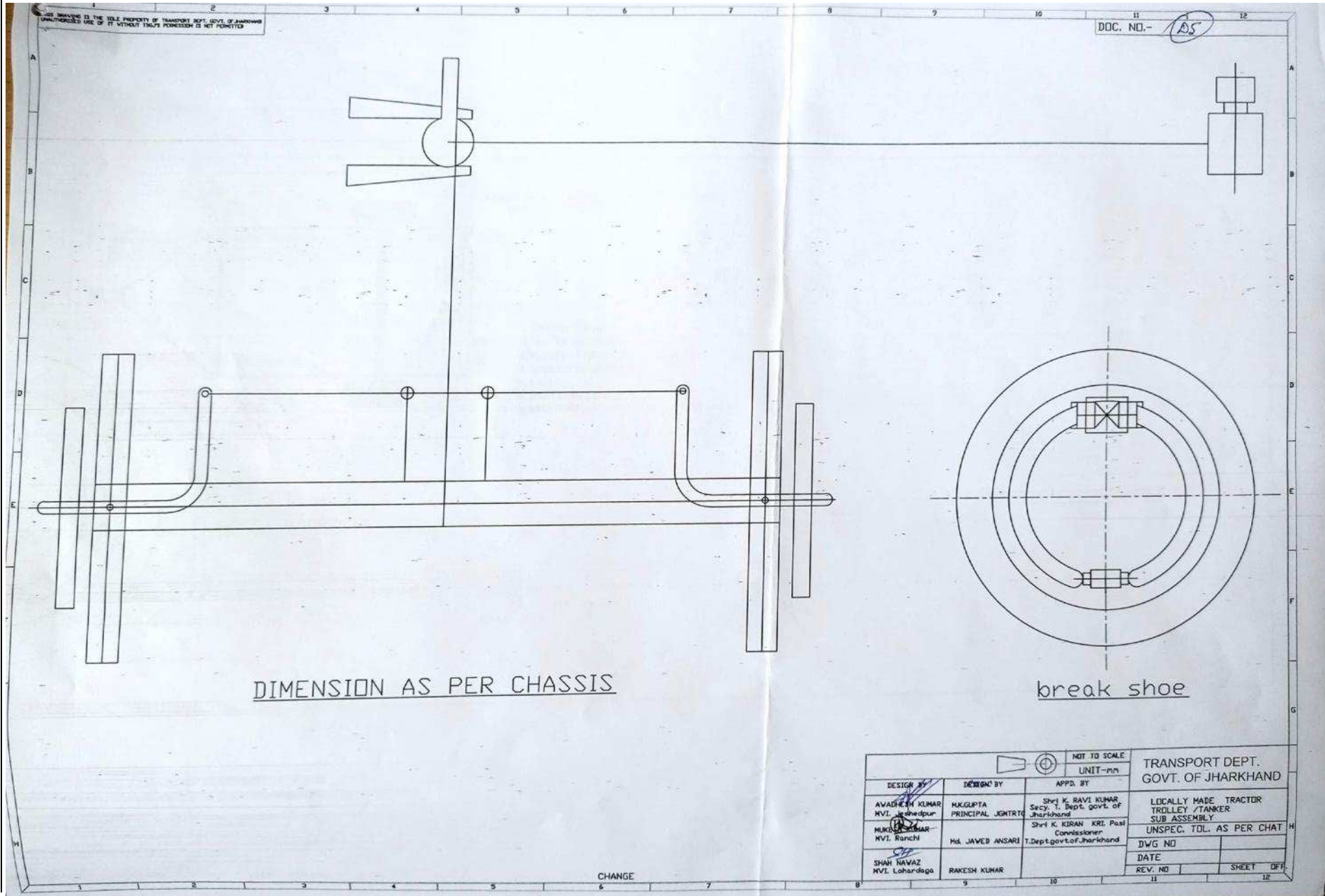
Model Code - D

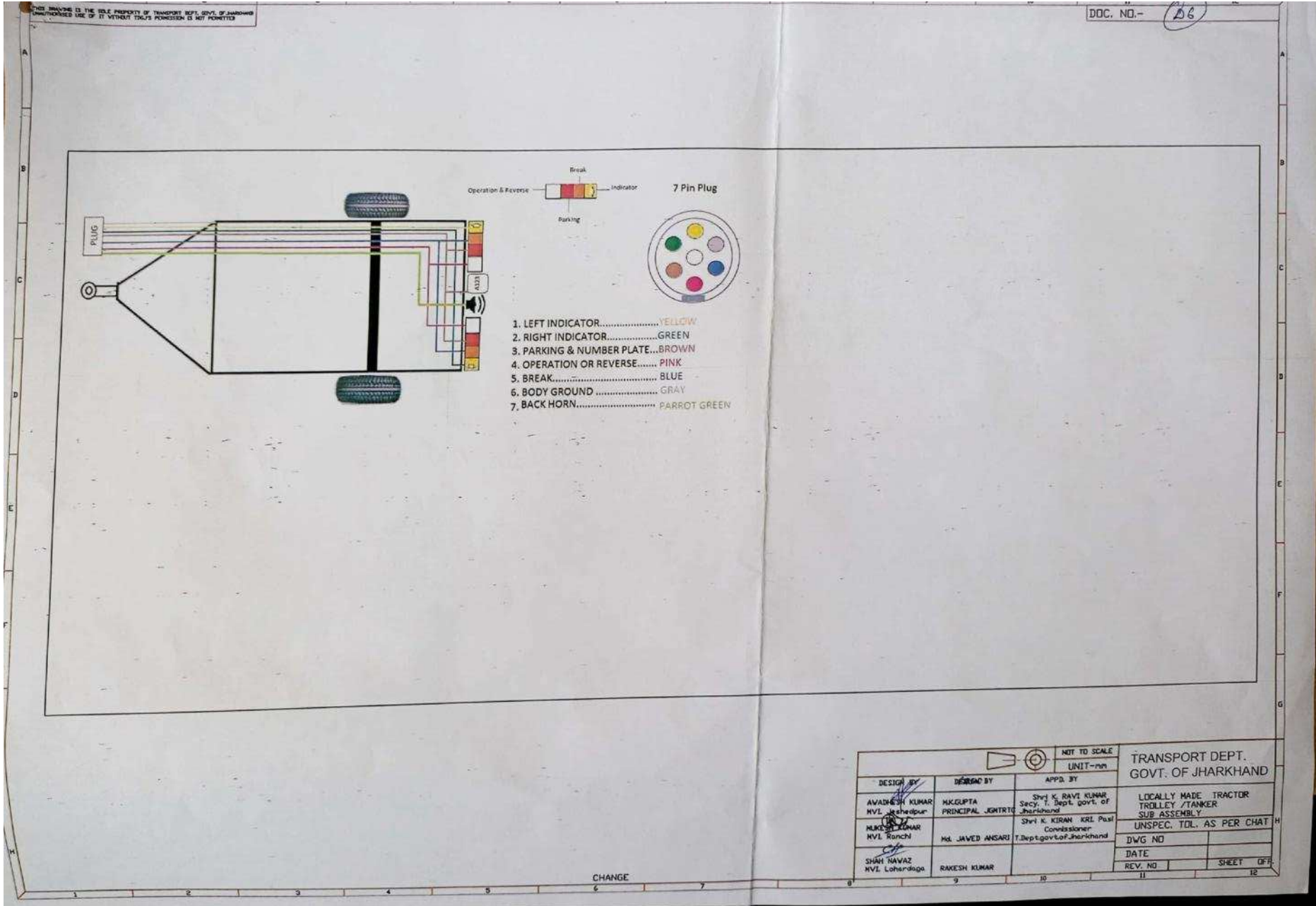












Model Code - E

